बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
मानव संसाधन प्रबंध विभाग / मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
नवी मुंबई/ Navi Mumbai

परिशिष्ट: नवी मुंबई में विभिन्न कार्यालय स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए खानपान सुविधा प्रदान करने के लिए ई-निविदा, अर्थात् - एनेक्स भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, एचएच निर्मलादेवी मार्ग, सेक्टर 10, बेलापुर 400614 में स्टाफ कैंटीन। (iii) जेडटीसी (जोनल ट्रेनिंग सेंटर) आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर, खारघर, सेक्टर 5ए, खारघर 410210 के परिसर में लाउंज और डाइनिंग रूम। खारघर, सेक्टर 5ए, खारघर 410210 में आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर के परिसर में विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ)/ट्रांजिट हॉलिडे होम (टीएचएच)

ई-निविदा संख्या: (आरबीआई/बेलापुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/26-27/230)

शीर्षक वाली निविदा 30 जुलाई 2026 को आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) और एमएसटीसी वेबसाइट (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन/संशोधन निविदा दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होंगे:

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टर्नओवर प्रमाणपत्र और अन्य वित्तीय विवरण जमा करने के संबंध में स्पष्टीकरण

उपरोक्त ई-निविदा के संदर्भ में, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित टर्नओवर विवरण/अन्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:

क्र. नं.	संदर्भ/पैरा	जोड़
a.	पात्रता मानदंड में संशोधन - औसत वार्षिक कारोबार धारा II के तहत मौजूदा प्रावधान - तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश, पैरा 1.19, पात्रता मानदंड, क्रम संख्या 3, जो निर्धारित करता है कि: इसमें कहा गया है, "बोलीदाता का 31.03.2026 (वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26) तक पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम से कम छह करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। कृपया चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	"यदि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/टर्नओवर प्रमाणपत्र बोली जमा करने की तारीख तक उपलब्ध नहीं हैं, तो बोलीदाता वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित टर्नओवर प्रमाण पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अनंतिम वित्तीय विवरण/टर्नओवर प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ii. वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टर्नओवर प्रमाण पत्र भी निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

		iii. इसके अलावा, बोलीदाता एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/टर्नओवर प्रमाणपत्र बोलीदाता द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे, जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
b.	अनुलग्नक VI में संशोधन - वार्षिक कारोबार विवरण	अनुलग्नक VI - वार्षिक टर्नओवर विवरण में, बोलीदाता, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित टर्नओवर प्रमाणपत्र के अभाव में, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम टर्नओवर प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। ii. ऐसे मामलों में, बोलीदाता अतिरिक्त रूप से वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टर्नओवर प्रमाण पत्र के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित टर्नओवर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
c.	<u>पात्रता मानदंड में संशोधन - आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण</u> धारा II के तहत मौजूदा प्रावधान - तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश, पैरा 1.19, पात्रता मानदंड, क्रम संख्या 8, जो निर्धारित करता है कि: "निविदा फर्मों/कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी (वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना चाहिए	वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जमा करने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, जहां वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश बोली जमा करते समय उपलब्ध नहीं हैं, बोलीदाता मूल्यांकन के उद्देश्य से अंतरिम दस्तावेज के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ii. ऐसे मामलों में, बोलीदाता अतिरिक्त रूप से वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के प्रमाण पत्र के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

		आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। iii. इसके अलावा, बोलीदाता एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र/मूल्यांकन आदेश और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण बोलीदाता द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे, जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

2. निविदा दस्तावेज के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होगा और इसे मूल निविदा दस्तावेज के साथ पढ़ा जाएगा।

4. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां तैयार करते समय और जमा करते समय उपरोक्त संशोधनों पर ध्यान दें।

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
बेलापुर कार्यालय